

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 102/23

तारीख 18/5/23

01. दीपक पुत्र बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शांति देवी पत्नि स्व. बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शिव कुमार पुत्र बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. दिनेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नरेन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमलेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शक्ति कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

--: आदेश :-

दिनांक: 7/6/23

प्रार्थना पत्र दीपक, शिवकुमार पुत्र बन्शीलाल, शांति देवी पत्नि बन्शीलाल जाति ब्राहमण निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 346/21 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 346/21 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलाल पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(रसद) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 102/23

तारीख 7/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 102 / 2023 पत्थरगढी बाबत।

01. दीपक पुत्र बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शांति देवी पत्नि स्व. बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शिव कुमार पुत्र बन्शीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. दिनेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नरेन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमलेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शक्ति कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 346/21 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



**उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा**